"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अक्टूबर 2010—आश्विन 16, शक 1932

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ओम प्रकाश देवांगन आ. बाबाराम देवांगन, आयु-29 वर्ष, स्थायी निवासी-ग्राम व पोस्ट-खपरी (लाटाबोड़) तह. बालोद जिला दुर्ग (छ. ग.) हाल मुकाम-मुरम खदान, फरीद नगर, सुपेला-भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम मोहम्मद आसिफ खान रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे मोहम्मद आसिफ खान आ. बाबाराम देवांगन के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
ओम प्रकाश देवांगन	मोहम्मद आसिफ खान
आत्मज-श्री बाबाराम देवांगन	आत्मज-श्री बाबाराम देवांगन
स्थायी निवासी-ग्राम व पो. खपरी (लाटाबोड़)	स्थायी निवासी-ग्राम व पो. खपरी (लाटाबोड़)
तह. बालोद, जिला दुर्ग (छ. ग.)	तह. बालोद, जिला दुर्ग (छ. ग.)
हाल मुकाम-मुरम खदान, फरीद नगर	हाल मुकाम-मुरम खदान, फरीद नगर
सुपेला-भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	सुपेला-भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अनुसुईया चन्देल बेवा रविकुमार चंदेल, जाति लोधी, आयु -35 वर्ष, निवासी-चिखली वार्ड क्र.-03, ठा. प्यारेलाल चौक, राजनांदगांव तह. व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) की हूं. यह कि मैं शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव में भृत्य के पद पर कार्यरत हूं, मेरा घरेलू नाम ममता चन्देल है, जो कि भूलवश मेरे बच्चों के शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज हो गया. जिसे सुधारवाने हेतु मैं सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे अनुसुईया चन्देल बेवा रविकुमार चन्देल के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
ममता चन्देल	अनुसुंईया चन्देल
पति-स्व. रविकुमार चन्देल	पति-स्व. रविकुमार चन्देल
निवासी-चिखली, वार्ड क्र.-03	निवासी-चिखली, वार्ड क्र.-03
ठा. प्यारेलाल चौक, राजनांदगांव	ठा. प्यारेलाल चौक, राजनांदगांव
तह. व जिला राजनांदगांव (छ. ग.)	तह. व जिला राजनांदगांव (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2010

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2010/1631.—इस कार्यालय का संशोधित आदेश क्र./परिसमापन/981 /बिलासपुर, दिनांक 9-5-08 के तहत प्रियदर्शनीय बिलासा महिला डिपार्टमेंटल स्टोर सदर बाजार सहकारी समिति मर्यादित, पं. क्र. 3826 दिनांक 26-12-96, विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमति शोभा बन्दे, सहकारी निरीक्षक/ विस्तार अधिकारी बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 2-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2010

क्रमांक/परि./2010/1647.—आदिवासी मछुवा सहकारी समिति मर्यादित झिरनापोड़ी (मरवाही) पंजीयन क्रमांक 3678, दिनांक 23-08-1995 को श्री एस. के. त्रिपाठी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. जिसमें समिति के सदस्यों की बैठक 26-05-2010 कर यह निर्णय लिया गया है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाकर सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय-समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत कार्य करेगी. तत्संबंध में 04 बिन्दुओं में परिसमापक द्वारा भी पुनर्जीवित कार्ययोजना प्रस्तुत किया गया है. संस्था के सभी सदस्य आर्थिक रूप से कमजोर हैं. अत: सदस्यों के हित में परिसमापक के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, (छ. ग.) शासन विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-15 (सी.) दिनांक 26-7-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के तहत आदिवासी मछुवा सहकारी समिति मर्यादित झिरनापोड़ी, विकासखण्ड-मरवाही, जिला-बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3678, दिनांक 23-08-1995 को पुनर्जीवित करता हूं एवं आगामी 03 माह तक संस्था के कार्य संचालन हेतु तात्कालिक संचालक मण्डल को अधिकृत करता हूं.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्रमांक/परिसमापन/2010/596.—श्री तिरूपति ईंधन पूर्ति सह. समि. मर्या. कोरबा पंजीयन क्रमांक 45 दिनांक 15-1-04 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 372 दिनांक 21-6-10 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा श्री तिरूपति ईंधन पूर्ति सह. समि. मर्या., कोरबा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री व्ही. के. जेहोआश CEO कोरबा को उक्त अधिनियम की धारा 70(2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्रमांक/परिसमापन/2010/597.—विशाल ईंधन पूर्ति सह. समि. मर्या. कोरबा पंजीयन क्रमांक 46 दिनांक 23-01-04 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 372 दिनांक 21-6-10 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा विशाल ईंधन पूर्ति सह. समि. मर्या., कोरबा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री व्ही. के. जेहोआश CEO कोरबा को उक्त अधिनियम की धारा 70(2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्रमांक/परिसमापन/2010/598.—कामधेनु दुग्ध उत्पादक सह. समि. मर्या. कोरबा पंजीयन क्रमांक 20 दिनांक 15-2-01 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 372 दिनांक 21-6-10 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह- 1ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा कामधेनु दुग्ध उत्पादक सह. समि. मर्या., कोरबा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री व्ही. के. जेहोआश CEO कोरबा को उक्त अधिनियम की धारा 70(2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्रमांक/परिसमापन/2010/599.—जिला कृषक विकास सहकारी समिति मर्या. कोरबा पंजीयन क्रमांक 14 दिनांक 17-10-2000 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 372 दिनांक 21-6-10 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा जिला कृषक विकास सह. समि. मर्या., कोरबा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री व्ही. के. जेहोआश CEO कोरबा को उक्त अधिनियम की धारा 70(2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्रमांक/परिसमापन/2010/600.—सर्व मंगला परिवहन सह. समि. मर्या. कोरबा पंजीयन क्रमांक 87 दिनांक 8-12-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 372 दिनांक 21-6-10 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह- 1ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा सर्व मंगला परिवहन सह. समि. मर्या., कोरबा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री व्ही. के. जेहोआश CEO कोरबा को उक्त अधिनियम की धारा 70(2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्रमांक/परिसमापन/2010/601.—जय महालक्ष्मी सह. उप. भंडार मर्या. कोरबा पंजीयन क्रमांक 3482 दिनांक 4-6-92 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 372 दिनांक 21-6-10 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह- 1ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा जय महालक्ष्मी सह. उप. भंडार मर्या., कोरबा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री व्ही. के. जेहोआश CEO कोरबा को उक्त अधिनियम की धारा 70(2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्रमांक/परिसमापन/2010/602.—कोरबा सह. उपभोक्ता भंडार मर्या. कोरबा पंजीयन क्रमांक 3482 दिनांक 4-6-92 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 372 दिनांक 21-6-10 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह- 1ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, कोरबा सह. उपभोक्ता भंडार मर्या., कोरबा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री व्ही. के. जेहोआश CEO कोरबा को उक्त अधिनियम की धारा 70(2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्रमांक/परिसमापन/2010/603.—आदिवासी उपभोक्ता सह. भंडार मर्या. खरमोरा पंजीयन क्रमांक 64 दिनांक 11-2-2005 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 372 दिनांक 21-6-10 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह- 1ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा आदिवासी उपभोक्ता सह. भंडार मर्या., खरमोरा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री व्ही. के. जेहोआश CEO कोरबा को उक्त अधिनियम की धारा 70(2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्रमांक/परिसमापन/2010/604.— (महिला) पार्वती उपभोक्ता सह. भंडार मर्या. खरमोरा पंजीयन क्रमांक 65 दिनांक 11-3-2005 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 372 दिनांक 21-6-10 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह- 1ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा पार्वती महिला सह. उप. भंडार मर्या., खरमोरा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री व्ही. के. जेहोआश CEO कोरबा को उक्त अधिनियम की धारा 70(2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्रमांक/परिसमापन/10/605.—भू- विस्था. कामगार सहकारी समिति मर्या. कुमगरी पंजीयन क्रमांक 02 दिनांक 13-12-1999 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 372 दिनांक 21-6-10 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह- 1ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा भू-विस्था. कामगार सह. समि. मर्या., कुमगरी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री ओ. कुजूर CEO कटघोरा को उक्त अधिनियम की धारा 70(2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्रमांक/परिसमापन/2010/606.—प्रगति परिवहन सहकारी समिति मर्या. छुरीकला पंजीयन क्रमांक 94 दिनांक 03-01-07 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 372 दिनांक 21-6-10 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा प्रगति परिवहन सहकारी समिति मर्या., छुरीकला को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री ओ. कुजूर CEO कटघोरा को उक्त अधिनियम की धारा 70(2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्रमांक/परिसमापन/2010/607.—जय श्री उपभोक्ता सह. भंडार मर्या. जमनीपाली पंजीयन क्रमांक 66 दिनांक 15-3-05 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 372 दिनांक 21-6-10 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह- 1ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा जय श्री उपभोक्ता सह. भंडार मर्या., जमनीपाली को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री ओ. कुजूर CEO कटघोरा को उक्त अधिनियम की धारा 70(2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्रमांक/परिसमापन/2010/608.— जन कल्याण प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. सुमेधा पंजीयन क्रमांक 13 दिनांक 13-10-2000 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 372 दिनांक 21-6-10 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा जन कल्याण प्राथ. उप. सह. भंडार मर्या., सुमेधा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री ओ. कुजूर CEO कटघोरा को उक्त अधिनियम की धारा 70(2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्रमांक/परिसमापन/2010/609.— कोयलांचल कामगार सहकारी समि. मर्या. बांकीमोंगरा पंजीयन क्रमांक 47 दिनांक 24-03-04 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 372 दिनांक 21-6-10 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा कोयलांचल कामगार सह. समि. मर्या., बांकीमोंगरा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री ओ. कुजूर CEO कटघोरा को उक्त अधिनियम की धारा 70(2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्रमांक/परिसमापन/2010/610.— छ. ग. श्रमठेका कामगार सह. समिति मर्या., कुसमुंडा पंजीयन क्रमांक 38 दिनांक 21-02-03 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 372 दिनांक 21-6-10 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, दिलीप जायसवाल ,उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा छ. ग. श्रमठेका कामगार सह. समिति मर्या., कुसमुण्डा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री ओ. कुजूर CEO कटघोरा को उक्त अधिनियम की धारा 70(2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्रमांक/परिसमापन/2010/611.— निर्माण एवं कामगार सह. समि. मर्या. सरगबुंदिया पंजीयन क्रमांक 25 दिनांक 16-2-06 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 372 दिनांक 21-6-10 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा निर्माण एवं कामगार सह. समि. मर्या., सरगबुंदिया को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री संतोष कंवर CEO करतला को उक्त अधिनियम की धारा 70(2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्रमांक/परिसमापन/2010/612.—आदर्श श्रमठेका सह. समि. मर्या. रानीअहारी पंजीयन क्रमांक 41 दिनांक 11-6-03 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 372 दिनांक 11-6-03 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह- 1ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा आदर्श श्रमठेका सह. समि. मर्या., रानीअहारी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. पी. मसीह CEO पोड़ीउपरोड़ा को उक्त अधिनियम की धारा 70(2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्रमांक/परिसमापन/2010/613.— केंवट मछुवा सहकारी समिति मर्या. पोंड़ी वि. ख. पाली पंजीयन क्रमांक 3676 दिनांक 19-7-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 372 दिनांक 21-6-10 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा केंवट मछुवा सहकारी समिति मर्या., पोंड़ी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री डी. डी. जोगांश CEO पाली को उक्त अधिनियम की धारा 70(2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010.